<u>फार्म बी.एम.-9(भाग-1)</u>

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

अनुदान संख्या व नाम : 43-परिवहन विभाग (आयोजनेत्तर) वित्तीय वर्ष 2014-15 (धनराशि हजार रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (आयोजनेत्तर)	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग
1	2	3	4	5	6
2235 60 200 04 00 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60--अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य व्यय-04-बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की बस में दुर्घटना हो जाने की दशा में आर्थिक सहायता-20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	2000	1500	1500	1500	500
3055 00 001 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-					
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	6000	345	345	345	5655
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	500	475	475	475	25
3055 00 190 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-03-राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में संसद सदस्यों की निःशुल्क यात्रा की सुविधा के लिये निगम को प्रतिकर का भुगतान-42-अन्य व्यय	2900	2360	2360	2360	540
योग-	**11400**	**4680**	**4680**	**4680**	**6720**

2/-

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (आयोजनेत्तर)	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2041 00 800 03 00					
2041-वाहन कर-800-अन्य व्यय-03-स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान					
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	100	155	55	55	155
49-चिकित्सा व्यय	40	175	135	135	175
3055 00 001 03 00					
3055-सड़क परिवहन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय					
13-टेलीफोन पर व्यय	2000	2700	700	700	2700
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	26000	29540	3540	3540	29540
45-अवकाश यात्रा व्यय	100	350	250	250	350
योग -	**28240**	**32920**	**4680**	**4680**	**32920**

(1) स्तम्भ-3 में बचत का कारण निम्नानुसार है :-

वित्तीय वर्ष 2014-15 में दुर्घटना कम होने, मांग वास्तविकता पर होने, परिवहन निगम द्वारा प्रतिपूर्ति की धनराशि का देयक प्रस्तुत करने के उपरांत मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन), 14-मोटर गाड़ियों का क्रय, 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं प्रासंगिक व्यय तथा 42-अन्य व्यय में बचत संभावित है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

-05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय में अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के लम्बित स्थानान्तरण देयक के भुगतान हेतु

-49-चिकित्सा व्यय में राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्मिक की पुत्री की लम्बित चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु

-13-टेलीफोन पर व्यय में सी0यू0जी0 के लम्बित देयकों का भुगतान किये जाने हेतु

-15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद के अन्तर्गत प्रत्याशित कुल व्यय में दर्शायी गयी धनराशि में परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनॉक 18-12-2014 में दर्शाया

3/-

गया प्रत्याशित कुल व्यय रू0 42000 हजार में वर्तमान में वांछित धनराशि रू0 4270 हजार को सम्मिलित करके दर्शाया गया है। रू0 4270 हजार 61 वाहनों के रू0 35000/- प्रतिमाह प्रतिवाहन की दर से 02 माह हेतु वांछित धनराशि की गणना के आधार पर है।

-45-अवकाश यात्रा व्यय में परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को एल0टी0सी0 में व्यय की गयी धनराशि के कारण

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर0ई0-303/ई-9-यू0ओ0-65/दस-2015, दिनॉक 26 फरवरी, 2015

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव,
परिवहन विभाग।

(राम सुमेर)
अनु सचिव
वित्त विभाग।

संख्या-20/281/तीस-3-2015-31बी/2013-1, दिनॉक 27 फरवरी, 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव,
परिवहन विभाग।